न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 62/2017

दर्ज दिनांकः 05/06/2017

निर्णय दिनांक : 10/10/2017

1. मुकेश पुत्र भंवरलाल
2. राकेश पुत्र भंवरलाल
3. कानी पत्नि स्व भंवरलाल

समस्त जाति जाट निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।

–– प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट
श्री पंकज जैन एडवोकेट
श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट
श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः 10/10/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 607 पुरानी 587 के खसरा नंबर 1006/2, 1081, 1082 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज है। जो जमाबंदी में भूरा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वल्द सूरजमल हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र सुज्या है। वादीगण के दादा सुज्या पुत्र मोहरू है। वादीगण के पिता भंवरलाल का देहान्त उनके दादा सुज्या के पूर्व ही हो गया। सुज्या के फौत होने पर उसके समस्त वारिसान धन्नालाल, रामलाल व वादीगण के पिता/पति भंवरलाल की जगह वादीगण केनाम सुज्या की समस्त सम्पत्ति कृषि भूमि का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया। वादीगण के पिता/पति का नाम भंवरलाल है जिनके पिता सुज्या पुत्र मोहरू है। वादीगण के पिता/पति का देहान्त उनके दादा सुज्या के पूर्व ही हो चुका था, वादीगण की पैत्रिक भूमि वाके ग्राम रेनवाल मांजी में स्थित है जो उनके दादा सुज्या पुत्र मोहरू के नाम दर्ज है जिनके देहान्त होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 2398 दिनांक 08.03.2016 वादीगण के नाम उनके अन्य वारिसान के नाम खोला गया जिसमें वादीगण की वास्तविक वल्दीयत भंवरलाल दर्ज की गई। उपरोक्त भूमि में वादीगण के पिता/पति भंवरलाल पुत्र सुज्या की जगह सहवन से भूरा पुत्र सुरजमल के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादीगण के पिता/पति का देहान्त हो चुका है उक्त भूमि वादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज है लेकिन सहवन से इन्द्राज भूरा पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज होने से वादीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण उक्त गलत अंकन होने से तस्दीक नहीं किया जा सका। जबकि उक्त भूमि वादीगण पिता की है एवं वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र सुज्या है जिसका इन्द्राज समस्त राजस्व व सरकारी दस्तावेजो में भंवरलाल पुत्र सुज्या के नाम से दर्ज है जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड सभी में उक्त इन्द्राज है, उपरोक्त खतौनी में भूरा पुत्र सुरजमल का नाम दर्ज है जो वादीगण के पिता/पति से संबंधित है। इस आधार पर भूरा पुत्र सुरजमल के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या का दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त खतौनी संख्या 607 में गलत इन्द्राज होने से उपरोक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम प्रतिवादी के द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है। इस हेतु दिनांक 6/6/2016 को वादीगण ने प्रतिवादी के यहां वादीगण के नाम अन्य उनकी पैत्रिक भूमि जो उनके दादा सुज्या पुत्र मोहरू के नाम दर्ज थी जिसका नामान्तकरण वादीगण के नाम से तस्दीक किया गया उसी आधार पर उक्त भूमि का भी नामान्तकरण वादीगण के नाम तस्दीक किये जाने बाबत कई मर्तबा निवेदन कर चाराजोही की जिस पर प्रतिवादी द्वारा कहा गया कि जमाबंदी में इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार उसे प्राप्त नहीं है वह न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर वादीगण के लिये आवश्यक हुआ कि वह उक्त खतौनी में दर्ज उनके पिता/पति की गलत नाम से दर्ज खातेदारी को दुरूस्त कराने हेतु वाद इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत करे। भूरा वल्द सुरजमल जाति जाट निवासी रेनवाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी में नहीं है भूरा, वल्द सूरजमल के नाम जो उपरोक्त खतौनी संख्या 607 में खातेदारी दर्ज है वह वादीगण के पिता की भूमि है जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमि वादीगण के पिता के नाम से नाबालिक में उनके दादा सुज्या पुत्र मोहरू ने क्रय की है, यौम क्रय सहबन से भूरा वल्द सुरजमल के नाम इन्द्राज गलत हो गया जो बाद उक्त गलत इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है, उक्त भूरा वल्द सुरजमल का इन्द्राज वादीगण के पिता/पति से संबंधित है जो वादीगण के पिता/पति भंवरलाल पुत्र सुज्या है। इस आधार पर उक्त इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त खतौनी संख्या 607 में भूरा वल्द सुरजमल हिस्सा 1/2 का गलत इन्द्राज है जो वादीगण के पिता/पति से संबंधित है। वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र सुज्या है इस आधार पर उपरोक्त खतौनी संख्या 607 में दर्ज भूरा वल्द सुरजमल की जगह भंवरलाल पुत्र सुज्या का इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। इस आशय हेतु वादी जब दिनांक 12.5.17 को प्रतिवादी के यहां उपस्थित हुआ और इन्द्राज दुरूस्ती हेतु चाराजोही की तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु कहा जिस पर वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह श्रीमान के समक्ष वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करे। उपरोक्त खतौनी में गलत इन्द्राज होने से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की जा रही है जिससे वादीगण अपने कृषि भूमि से संबंधित सभी अधिकारो व सुविधाओ से वंचित हो रहे है जिन्हे लगातार असहनीय हानि हो रही है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का डिक्री किया जावे कि विवादित भूमि वर्णित मद नंबर खतौनी संख्या 607 पुरानी 587 के खसरा नंबर 1006/2, 1081, 1082 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रेनवाल मांजी, तहसीज फागी जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमें वर्तमान अंकन भूरा वल्द

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सूरजमल हिस्सा 1/2 को दुरूस्त किया जाकर भंवरलाल पुत्र सुज्या हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उपरोक्त विवादित भूमि वर्णित वाद पत्र में वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 30/06/2017 को पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वादी, गिर्राज पुत्र जगदीश एवं रामलाल पुत्र सुज्याराम के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादग्रस्त आराजी में वादी के दादा भंवरलाल पुत्र सुज्या दर्ज होना चाहिए जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूरा वल्द सुरजमल दर्ज रिकॉर्ड है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भंवरलाल, फोटोप्रति पहचान पत्र, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट, वादी मुकेश पुत्र भंवरलाल, गिर्राज पुत्र जगदीश एवं रामलाल पुत्र सुज्याराम के शपथ पत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 1006/2, 1081, 1082 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से की आराजीयात भूरा वल्द सुरजमल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज भूरा वल्द सुरजमल हिस्सा 1/2 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या हिस्सा 1/2 दुरूस्त करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति पहचान पत्र एवं फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम भंवरलाल दर्ज है। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में आराजी में भूरा वल्द सूरजमल के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या दर्ज किये जाने योग्य बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज भूरा वल्द सूरजमल हिस्सा 1/2 को हजफ कर इसके स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1006/2, 1081, 1082 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज भूरा वल्द सुरजमल हिस्सा 1/2 को हजफ कर इसके स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

फागी

नोट:- प्रा०पत्र 152 cpc स्वीकार होने पर ख०न० 1006/2, 1081, 1082 किता 3 रकबा 18.10 बीघा के स्थान पर ख०न० 1006/3 रकबा 0.02 में हि० 1/3 व ख०न० 1081/1 रकबा 4.00, ख०न० 1082/1 रकबा 1.13 किता 2 रकबा 6.03 बीघा पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

मुकेश पुत्र भंवरलाल

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 62/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1006/2, 1081, 1082 कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज भूरा वल्द सुरजमल हिस्सा 1/2 को हजफ कर इसके स्थान पर भंवरलाल पुत्र सुज्या हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.................मुबलिग..बाबत.. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/10/2017 को जारी की गई।

दस्तखत................ उपखण्ड अधिकारी

मुहर ओहदा.................... फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—nil		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा	—nil	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- प्रारूप 152 (क) स्वीकार होने पर ख0न0 1006/2, 1081, 1082 किता-3 रकबा 18.10 बीघा के स्थान पर ख0न0 1006/3 रकबा 0.02 में हिस्सा 1/3 व ख0न0 1081/1 रकबा 4.00, ख0न0 1082/1 रकबा 1.13 किता 2 रकबा 6.03 बीघा पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)